पटना में दिनांक–10 जून, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1.	बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय, पटना की स्थापना एवं संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 16 (सोलह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

गृह विभाग

2.	बिहार राज्य के प्रोबेशन कार्यालयों में प्रोबेशन पदाधिकारियों के पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु "बिहार प्रोबेशन (परिवीक्षा) सेवा नियमावली 2014" के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

गृह विभाग

3.	कारा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कारा एवं सुधार सेवाएं, गृह विभाग के अधीन प्रोबेशन निदेशालय एवं प्रोबेशन कार्यालयों में विभिन्न अतिरिक्त पदों का सृजन तथा 09 (नौ) जिला प्रोबेशन कार्यालय को प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालयों एवं 11 (ग्यारह) अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालयों का जिला प्रोबेशन कार्यालय में उत्क्रमण सहित प्रोबेशन निदेशालय, 03 (तीन) जिला प्रोबेशन कार्यालयों एवं 07 (सात) अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालयों के विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

4.	बिहार महिला प्रसार पदाधिकारी, संवर्ग नियमावली, 2008 एवं बिहार प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य), संवर्ग नियमावली, 2008 के नियम–6 में उल्लिखित शर्त्त विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता को शिथिल करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5.	अरवल, शेखपुरा, बाँका एवं किशनगंज में परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि) के एक–एक पद सहित कुल चार पदों का सृजन।	5.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6.	डा० विजय कुमार साहा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर, सम्प्रति निलंबित को रिश्वत मांगने तथा रिश्वत लेने के प्रमाणित आरोपों के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	6.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7.	"बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी ऐंड अकुपेशनल थेरापी शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014" में संशोधन के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8.	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के द्वितीय चरण में कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल रूपये 39,85,63,229/– (उनचालीस करोड़ पचासी लाख तीरसठ हजार दो सौ उनतीस रू०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रूपये 30,00,00,000/–(तीस करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9.	राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, पटना के सभागार के आंतरिक कार्यों के लिए कुल रूपये 92,98,400/–(बानबे लाख अनठानबे हजार चार सौ रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10.	मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु शिक्षकों के 14 (चौदह) पद एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 54 (चौवन) पदों की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

11.	बिहार वाणिज्य–कर विभाग क्षेत्रीय स्थापना के लिए निरीक्षक के कुल 901 पद के सृजन एवं निरीक्षकों की भर्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों के लिए "बिहार वाणिज्य–कर निरीक्षक सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2014" के गठन के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

12.	"बिहार वाणिज्य–कर विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा भर्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली 2011 को संशोधित करते हुए "बिहार वाणिज्य–कर विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा भर्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली 2014 के गठन के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13.	माननीय मुख्यमंत्री के निजी कर्मियों की सुविधा में बढ़ोतरी के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

14.	श्री रामप्रीत राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन० आर०ई०पी०, लक्खीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, अग्रिम योजना भवन प्रमंडल सं०-1, भवन निर्माण विभाग, पटना (निलंबित) के विरूद्ध उनके एन०आर० ई०पी०, लक्खीसराय के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए निगरानी थाना कांड सं० 29/86 एवं 30/86 दर्ज किया गया जिसके सुनवाई के पश्चात् विशेष निगरानी न्यायालय द्वारा उक्त दोनों कांडों में उन्हें तीन वर्षों की सश्रम कारावास की सजा दी गई, के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	14. **स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

15.	बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 तक के लिये स्वीकृत करने एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस हेतु बजट में उपबंधित राशि ₹ 3548.00 लाख (पैंतीस करोड़ अड़तालीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति देने के संबंध में।	15. **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

16.	"मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" अंतर्गत वर्ष 2014-15 के पूर्व वर्षों (2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) में ली गयी योजनाओं की वित्तीय सम्पोषण हेतु 782.4612 करोड़ रूपये एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 636.00 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 1418.4612 करोड़ रूपये के व्यय की स्वीकृति।	16. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

17.	राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति हेतु आयु सीमा 55 वर्ष से बढ़ाकर 57 वर्ष करने के संबंध में।	17. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

18.	बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली 2006 के नियम 3 (ख), 4, 5, 6, 7, 9(1) एवं 17 (1) में संशोधन करने के संबंध में।	18. **कंडिका 1(ii) की तृतीय पंक्ति में 40000/- को 45000/-से तथा कंडिका 1(vi) की तृतीय पंक्ति में 1500/-को 2000/-से प्रतिस्थापित करते हुए स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

19.	समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बाल संरक्षण बेंच क्लर्क संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में।	19. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

20. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के सहायक ग्रेड के पदों के पुनर्गठन/पुनर्निधारण के निमित्त सहायक के कुल स्वीकृत 90 (नब्बे) पदों में से 12 (बारह) पदों को क्रमशः 7 (सात) पद प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि में, 4 (चार) पद अवर सचिव की कोटि में एवं 1 (एक) पद उप सचिव की कोटि में कंडिका–3 में अंकित वेतनमान में उत्क्रमित किये जाने एवं इन 12 (बारह) पदों के उत्क्रमण के फलस्वरूप रू० 8,96,256/– (आठ लाख छियानवे हजार दो सौ छप्पन) संभावित वार्षिक व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

21. आरोपित पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के त्वरित संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय के लिए स्थायी रूप से राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन। — 21. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

22. विशेष आधारभूत संरचना (SIS) योजनान्तर्गत वामपंथी उग्रवाद (LWE) से मुकाबला करने के लिए विशेष कार्य बल (STF) के उन्नयन हेतु बल के प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासन आदि का निर्माण दो भाग में यानी प्रथम भाग में मुख्य प्रशासनिक एवं निरीक्षण भवन तथा दूसरे भाग में आवासीय भवन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य की लागत राशि कुल ₹ 51,93,18,000 (इकावन करोड़ तीरानवे लाख अठारह हजार रू०) की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि चालू वर्ष तथा अनुवर्ती वर्षो में व्यय करने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

23. आतंकवाद निरोधक दस्ता में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु कुल चार माह के लिए विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹ 9,07,54,000 (नौ करोड़ सात लाख चौवन हजार) रूपये मात्र के अग्रिम की स्वीकृति। — 23. स्वीकृत।